



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ 165 ()/ परावि/ले.ब./विविध/2018-19/५०६५

जयपुर, दिनांक:— 14.02/19


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद—समस्त ।

विषय:— दिनांक 16.02.2019 को शासन सचिव एवं आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में।

संदर्भ:— क्रमांक:—एफ 156(0)परावि/लेखा/वीसी/2018-19/108 दिनांक 11.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 16.02.2019 को शासन सचिव एवं आयुक्त की अध्यक्षता में उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष राशि को संबंधित संस्थाओं को वापस प्रेषित करने के संबंध में आयोजित होने वाली बैठक में सीएमबीपीएल के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 8968 दिनांक 22.01.2019(संलग्न) के माध्यम से चाही गई सूचनाओं के साथ नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।


लेखाधिकारी(बजट)
आशिमा सक्सैना

प्रतिलिपी:—सूचनार्थ

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

—Sd—
लेखाधिकारी(बजट)
आशिमा सक्सैना